

FORM No- III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) मुकाम जायल  
शयोपालसिंह वनाग भंवरसिंह

मु०न० 71/2012

फेसम मुकदमा राजस्व वाद

परीख हुवम

हुवम या कार्यवाही इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुवम की तामील  
में जारी हुए

19.03.12

वादी ने जरिऐ अभिभाषक प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 53, 188 के तहत पेश किया हैं।

वाद, वादी दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन वास्ते जवाब देही तलब किया जावें। मिसल आयन्दा दिनांक 04.04.2012 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी),  
(श. व. बो.) जायल (नागौर)

5/4/12

दिनांक 14/4/12 का अवकाश होने से  
पुजावली आज पेश हुये वरीर वादी उपर  
प्रतिवादीगण सं० 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18 का  
व 22 का ववा लठनासा वरीरकी हुमाना  
ने पेश किया जो शांति विवादा  
प्रतिवादीगण सं० 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  
के सम्मन पर तारीख पेश हुये हैं। वास्ते  
तामिल गेट हाजिर रहे हैं। एउ पक्षीप  
कार्यवाही समय में तारीख पेशी है। प्रतिवादी  
सं० 13, 14, 15, 20, 21 की तारीख नहीं  
हुई है। शक्ति इसी तारीख हेतु सम्मन  
वस्ते पेश है। प्रतिवादी सं० 23 के  
सम्मन पर तारीख पेशी है। शक्ति वास्ते  
कार्यवाही की जावे। पुजावली दिनांक  
16/4/12 को पेश हो।

(श. व. बो.) जायल (नागौर)

6-3-17 यमुना उफ. / फिलाल वाले जकाब दर. 01 R-10 CPC व तत्की उत्पत्ती से 13/15 तथा 20/21 हेतु दि. 04.04.17 को फेरा हो।

*(Signature)*

15-4-17

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

पीठासीन अधिकारी की मितिग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक. 26.12....को प्रस्तुत करें। *e*

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

पीठासीन अधिकारी की मितिग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक. 15.12.17...को प्रस्तुत करें। *e*

15-8-17

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

15-12-17

पीठासीन अधिकारी की मितिग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक. 26.12.17...को प्रस्तुत करें। *e*

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

22-3-18

पीठासीन अधिकारी की मितिग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक. 02.04.18 को प्रस्तुत करें। *e*

2-4-18

*(Handwritten notes)*

पक्षकर्ता के वकील काडी ने मोफ्रेस का निवेदन दिया कि काडी व उत्पत्ती-जब के लोक अदालत की भावना से शर्हीनामा हो जमा है काडी काड को भागे नहीं चलाना चाहते है इसीलिए काड को जोरसे विशेष खारेज किया जावे। वकील काडी कास मोफ्रेस करने

व काठी व उत्तिवाडीगण में राजीनामा होने  
के कारण काठी का वाड जीरिफे विडोस  
खारीज किया जाता है एवावली नमूना  
से कम होकर इफ्तल दाखिल हो।

X